रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

सं. 184] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 2001/आषाढ़ 13, 1923

No. 184] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 2001/ASADHA 13, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2001

विषय :—भारत में नेपाल से एक्रिलिक यार्न के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 29/1/2001-डीजीएडी.—मै0 पंजाब फाइबर्स लि0, नवा शहर, पंजाव, मै0 वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स लि0, लुधियाना; मै0 स्पोर्टकिंग इंडिया लि0, लुधियाना तथा मै0 मालवा कॉटन स्पिनिंग मिल्स लि0, लुधियाना ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें नेपाल मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक यार्न के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

शामिल उत्पाद

2. वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद एक्रिलिक यार्न (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) है । एक्रिलिक यार्न एक्रीलिक फाइबर से बनता है और इसकी कटाई मुख्यतः 3-4 सूत्रांकों में की जाती है । इसका विनिर्माण या तो 100% एक्रिलिक फाइबर से अथवा 90% एक्रिलिक फाइबर को 10% पोलिएस्टर अथवा विसकोस के साथ मिलाकर अथवा 85% एक्रिलिक फाइबर

को 15% पोलिस्टर अथवा विसकोस के साथ मिलकार किया जा सकता है । एक्रिलिक यार्न का उपयोग निटवियर, होजरी शॉल-इत्यादि के उत्पादन के लिए किया जाता है । याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि एक्रिलिक यार्न का आयात सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण मुख्य शीर्ष 5402 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 5402.39 तथा 5402.69 के तहत और मानव निर्मित/सिंथैटिक यार्न के संबंध में मुख्य शीर्ष 5509 के उप-शीर्षों के तहत किया जा रहा है । तथापि, ये सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के मामले में बाध्यकारी नहीं हैं।

घरेलू उद्योग

3. यह याचिका मै0 पंजाब फाइबर्स लि0, नवा शहर, पंजाब, मै0 वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स लि0, लुधियाना; मै0 स्पोर्टकिंग इंडिया लि0, लुधियाना तथा मै0 मालवा कॉटन स्पिनिंग मिल्स लि0, लुधियाना द्वारा दायर की गइ है । एक्रिलिक यार्न के कुल घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा 25% से अधिक है और इसलिए वह उपरोक्त नियमों के नियम 5(3) (क) की शर्तों के अनुसार याचिका दायर करने की मूलभूत शर्तों को पूरा करता है ।

शामिल देश

4. याचिकाकर्ता ने नेपाल (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित शामिल उत्पाद के पाटन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं ।

समान वस्तु

5. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु नेपाल मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है । अतः जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तु को नियमों के अर्थ के भीतर सम्बद्ध देश से आयातित शामिल उत्पाद अर्थात एक्रिलिक यार्न (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है ।

सामान्य मूल्यः-

6. याचिकाकर्ता ने प्रशासन, बिक्री लागत तथा लाभों के लिए उचित समायोजन करके सम्बद्ध वस्तु की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक्रिलिक यार्न के सामान्य मूल्य के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए गए है।

निर्यात कीमत

7. याचिकाकर्ताओं ने सम्बद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । याचिकाकर्ता ने सम्बद्ध वस्तु के संबंध में डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशित आंकडों को निर्यात कीमत के लिए आधार बनाया है । कारखाना-गत स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए भाड़े, बीमें, कमीशन, सामान को लादने के कारण समायोजनों का दावा किया है ।

पाटन मार्जिन

8. इस बात का प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत (कारखाना द्वारा स्तर पर) से काफी अधिक है, जो प्रथम दृष्ट्या यह इंगित करता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्ड जैसे बाजार हिस्से में गिरावट, बिक्री में गिरावट, बिक्री वसूली में गिरावट , संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से निष्पक्ष एवं उचित कीमत प्राप्त करने में घरेलू उद्योग की हानि में वृद्धि सामूहिक तथा संयची रुप से प्रथम दृष्टया यह इंगित करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

पाटनरोधी जांच का आरंभः

10. उपरोक्त पैराग्राफ को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु की कथित डम्पिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

11. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की है ।

सूचना देना

12. संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में आयातकों जिनके इससे संबंधित होने की जानकारी है, को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित रुप में तथा निर्धारित प्रपत्र में निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि की सीमा के भीतर निर्धारित रुप में और निर्धारित प्रपत्र में जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है ।

समय सीमाः

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रुप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात नियातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षणः

14. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी इच्छुक पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पाटियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

15. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथ केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2001

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning import of Acrylic Yarn from Nepal into India.

No. 29/1/2001-DGAD.— M/s. Punjab Fibres Ltd., Nawan Shahar, Punjab; M/s. Vardhman Spinning & General Mills Ltd., Ludhiana; M/s. Sportking India Ltd., Ludhiana and M/s. Malwa Cotton Spinning Mills Ltd., Ludhiana have filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Acrylic Yarn originating in or exported from Nepal and requested for Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

PRODUCT INVOLVED

2. The product involved in the present petition is Acrylic Yarn (hereinafter referred as subject goods). Acrylic Yarn is made of acrylic fibre and spun in mainly 3-4 counts. It can be made either from 100% acrylic fibre or in combination of 90% acrylic fibre blended with 10% polyester or viscose or 85% acrylic fibre blended with 15% polyester or viscose. Acrylic yarn is used for production of knitwears, hosiery, shawls etc. Petitioners have claimed that Acrylic Yarn imports are being made under various sub-headings of Customs Tariff Classification Major Head 5402 like 5402.39 and 5402.69 and also under sub-heads of Major Head 5509 in respect of Man made/Synthetic Yarn. These Custom classifications are however, indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

DOMESTIC INDUSTRY

3. The petition has been filed by M/s. Punjab Fibres Ltd., Nawan Shahar, Punjab; M/s. Vardhman Spinning & General Mills Ltd., Ludhiana; M/s. Sportking India Ltd., Ludhiana and M/s. Malwa Cotton Spinning Mills Ltd., Ludhiana. The petitioners' share in the total domestic production of Acrylic Yarn is more than 25% and therefore, the petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

COUNTRY INVOLVED

4. The petitioners have provided prima facie evidence of dumping of the product involved originating in or exported from Nepal (hereinafter referred to as the subject country).

LIKE ARTICLE

5. The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from Nepal. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like article' of the product involved i.e. Acrylic Yarn (hereinafter referred to as subject goods) imported from the subject country within the meaning of the Rules supra

NORMAL VALUE

6. The petitioners have claimed Normal Value based on the basis of constructed cost of production of the subject goods with reasonable addition for administrative, selling cost and for profits. Prima facie evidence has been made available to the Designated Authority with regard to the Normal Value of Acrylic Yarn.

EXPORT PRICE

7. The petitioners have produced prima facie evidence as regards the export price of the subject goods. The petitioners have based the export price on the published data of DGCI&S in respect of the subject goods. Adjustments have been claimed on account of freight, insurance, commission, loading of material to arrive at the Export Price at ex-factory level.

DUMPING MARGIN

8. There is sufficient prima-facie evidence that Normal Value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject country.

INJURY AND CAUSAL LINK

9. Various parameters relating to injury such as the decline in market share, decline in sales, decline in the sales realisation, increase in losses of the Domestic Industry to realize fair and reasonable price from sale of the subject goods, prima-facie indicate collectively and cumulatively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATIONS

10. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2000 to 31st March 2001.

SUBMISSION OF INFORMATION

12. The exporters in the subject country and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

14. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.